INDIA NON JUDICIAL

A 600278

भूमि का प्रकार – कृषि भूमि

मौजा – बगदा तहसील व जिला आगरा

विवरण विक्रीत आराजी – आराजी वाके मौजा बगदा तहसील व जिला आगरा खाता नं0 16 खसरा नं0 302 रकबई 0.2116 है0 लगानी 5.85 रुपये सालाना जिसके चारों ओर कृषि हो रही है और जिसमें कोई पेड़ पंप बोरिंग व आबादी नहीं है तथा क्रेता व विक्रेता अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य नहीं है।

अन्य विवरण – उक्त आराजी मुख्य मार्ग से 200 मीटर से अधिक दूरी पर है जिसका सर्किल रेट उप निबंधक तृतीय आगरा के पत्रावली 'ख' है।। पेज नं0 13 क्रम सं0 8 पर अंकित है।

[redacted]

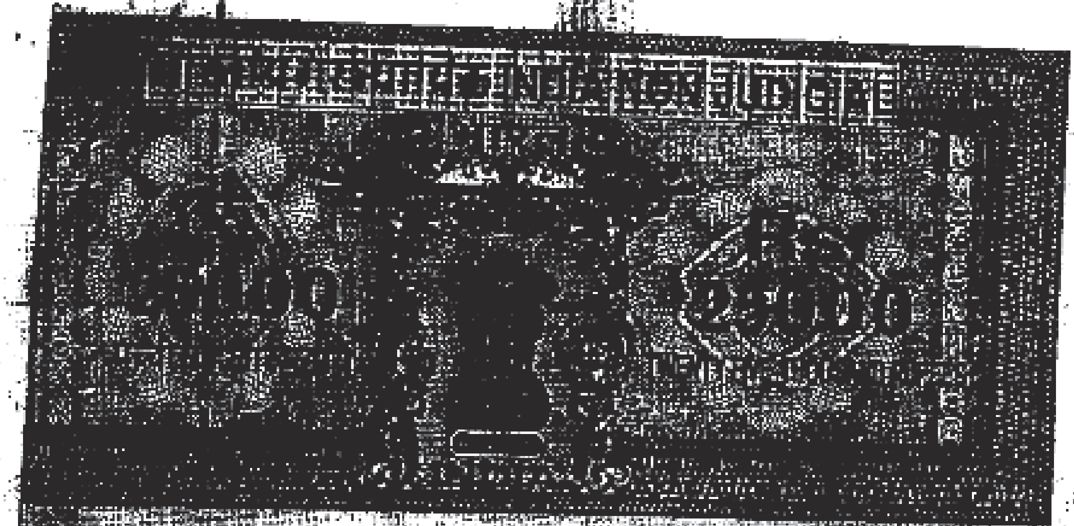

[illegible] ARPRADESH — A 600279

JUN 2010

-2-

प्रतिफल की राशि - 21,00,000/=रुपया

सरकारी कीमत - 21,00,000/=रुपया

सर्किल रेट - 60,00,000/=रुपया प्रति हैक्टेयर

स्टाम्प - 1,47,000/=रुपया

विक्रेता-

रसखान सहकारी आवास समिति लि0 आगरा रजि0 नं0 2948 द्वारा सचिव श्री परवेज अब्बासी पुत्र श्री कालीचरन निवासी 1/42 विजय नगर आगरा।

क्रेता -

मैसर्स हाउसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0 हैड ऑफिस 15 यू बी एम इन्द्र प्रकाश 21 बाराह खम्बा रोड नई दिल्ली द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री के.के. मित्तल पुत्र श्री एस.बी. मित्तल निवासी 15 यू बी एम इन्द्र प्रकाश बाराह खम्बा रोड नई दिल्ली।

प्रबन्धक — सचिव

रसखान सहकारी आवास समिति लि0 आगरा

[redacted]

[redacted]

UTTAR PRADESH A 600280

जो कि आराजी वाके मौजा [illegible] तहसील व जिला आगरा खाता नं0 16 खसरा सं0 302 रकबई 0-2116 है0 की तनेहा बकब्ज़ा दीगर आराजी के उक्त समिति है जिसको उक्त समिति ने बज़रिये बैनामा नविश्ता सीताराम पुत्र [illegible] व मुवर्रिखा 2-4-2005 जिसकी रजिस्टरी दफ्तर उप निबंधक आगरा में दस्तावेज नम्बर 1617/05 पर दर्ज है तनहा खरीद की है और विक्रेता समिति का नाम कागजात सरकार में बहैसियत मालिक दर्ज हो चुका है और विक्रेता को बहैसियत उक्त समिति के सचिव के उक्त ज़मीन के रहन व बै करने के कुल्ला अधिकार तनहा हासिल हैं जिसकी बाबत विक्रय हेतु अनुमति उप सहायक आयात आयुक्त लखनऊ द्वारा दिनांक 16-6-2009 को पत्र सं0 16 के द्वारा प्रदान की जा चुकी है और अब सिवाय उक्त समिति के अन्य कोई हकदार व हिस्सेदार [illegible] उक्त आराजी में नहीं है जो बाले किसी प्रकार के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] समिति के उक्त कुल आराजी रकबई 0-2116 है0 को [illegible] [illegible] मौजूदा के अनुसार [illegible]

प्रबन्धक

[illegible] सहकारी आवास समिति लि0 आगरा

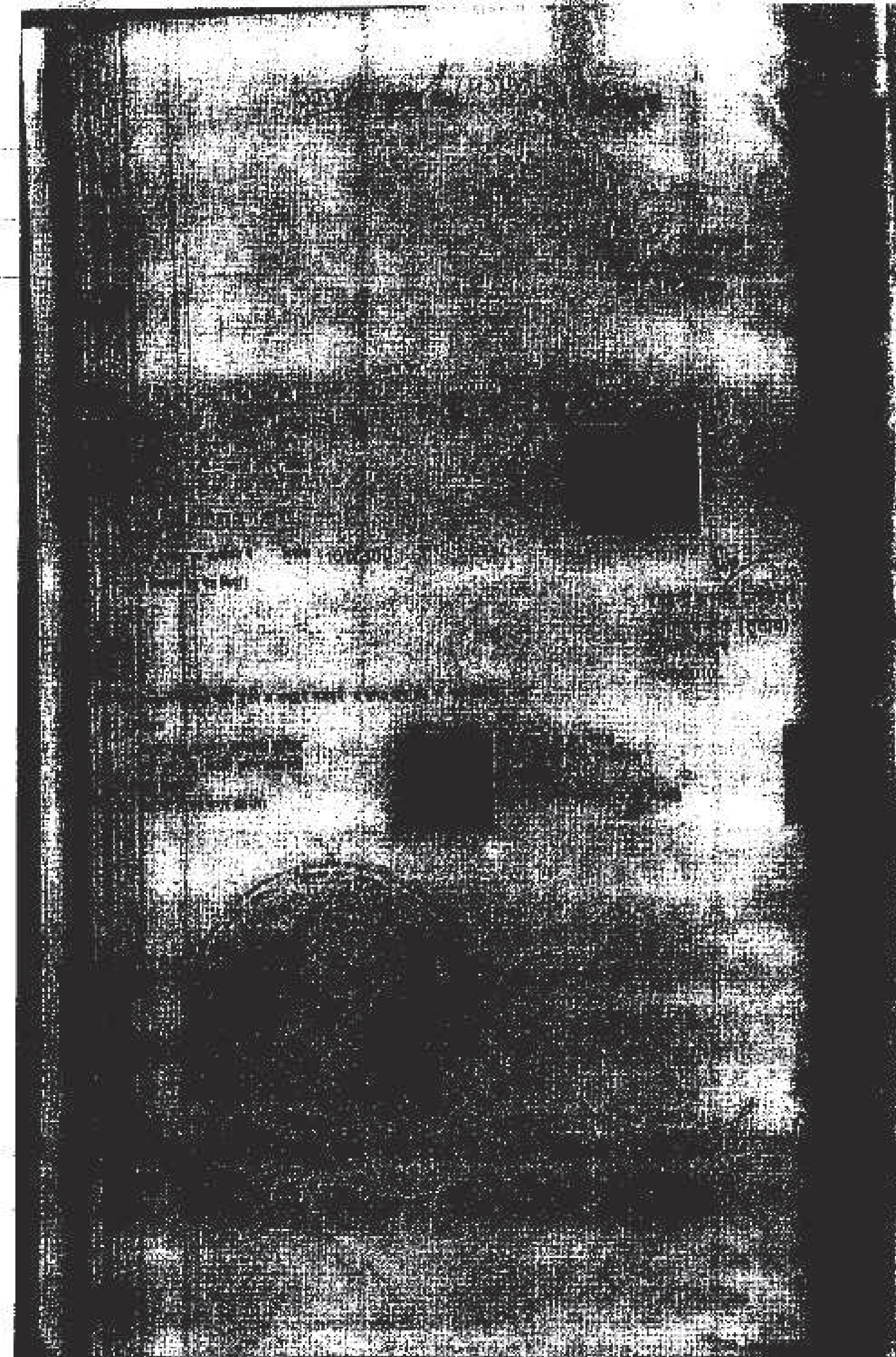

UTTAR PRADESH A 600281

लिहाजा अब विक्रेता उक्त आराजी रकबई 0.2116 हे0 मय्यूरापारा कुल को अपनी राजी व खुशी से बिना दबाये व सिखाये व बिना दबाव नाजायज के मय जुमला हक हकूक व दाखिली व खारिजी के मिल स्वत्व मुवलिग 21,00,000/= इक्कीस लाख रुपया कि आधे जिसके मुवलिग 10,50,000/= दस लाख पचास हजार रुपया होते है बदस्त [illegible] हाउसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन्स लि0 हैड आफिस 15 यू बी एम ब्लाक [illegible] 21 बाराखम्भा रोड नई दिल्ली को बै कतई किया और बेच दिया और कीमत का कुल रुपया विक्रेता ने क्रेता से हस्ब तफसील जैल वसूल पाना तय करार पाया है और उक्त रुपया प्राप्त हो जाने के बाद विक्रेता को क्रेता से कीमत मिलकुल पाना बाकी नहीं रहा है और ना कोई ताल्लुक व सरोकार आज के बाद विक्रीत आराजी से विक्रेता [illegible] रहा और ना आइन्दा में होगा ।

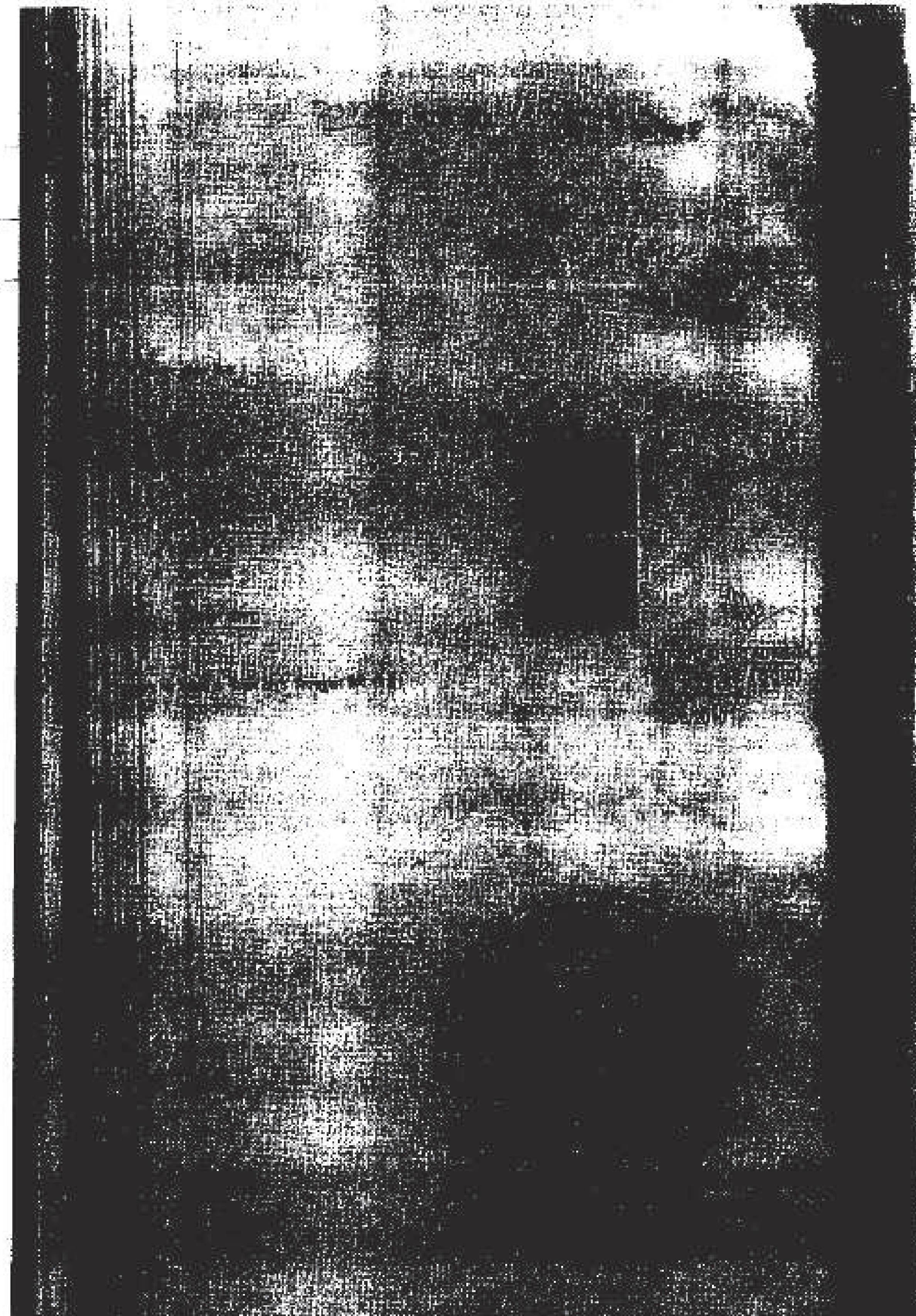

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

A 600282

-9-

[illegible] JUN 2010

[illegible] कब्जा व दखल मालकाना वाली आराजी मजकूर पर आज की तारीख से खरीदार का करा दिया और खरीदार को आज के बाद विक्रीत आराजी का एक मात्र तनहा मालिक काबिज दाखिल व दखील करा दिया अब खरीदार को अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी मजकूर से बहैसियत मालिक चाहे जैसे तामतसर्रुफ होवे कुल अख्तियारात निस्बत आराजी मजकूर तनहा खरीदार को हक मालिकाना हासिल है और आइंदा खरीदार अपने नाम का दाखिल खारिज जरिये बैनामा हाजा कागजात सरकारी में दर्ज करा लें।

प्रमाण [illegible] टंकित

[illegible] जि- बागपत